



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1092]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2014/वैशाख 29, 1936

No. 1092]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2014/VAISAKHA 29, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2014

का.आ. 1312(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1338 (अ), तारीख 23 मई, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जालौन जिले की कोच और उरई तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 173.600 कि.मी. से 220.000 कि.मी. (झांसी-भोगनीपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड में (बाइपासों के सन्निर्माण सहित) टोल प्लाजा और मार्गस्थ सुविधाओं के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 12 सितम्बर, 2013 को "अमर उजाला" और "राष्ट्रीय सहारा" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जालौन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के 173.600 कि.मी. से 220.000 कि.मी. तक (झाँसी-उरई सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक / तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण / खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जालौन	कोच	बिलायों	582 मि.	निजी	कृषिक	0.041	उदयवीर सिंह, कुलदीप सिंह पुत्रगण राम प्रसाद, नि. ग्राम
				631	निजी	कृषिक	0.218	भोगी लाल पुत्र वारेलाल, लक्ष्मी नारायण पुत्र स्व. बाल किशन, नि. ग्राम
				659	निजी	कृषिक	0.038	जोगी लाल पुत्र वारेलाल नि. ग्राम
				658	निजी	कृषिक	0.112	श्रीमती सुमन पत्नी अशोक कुमार नि. एट, परगना उरई
				830	सरकारी	अकृषिक	0.010	राम सागर पुत्र वृन्दावन नि. ग्राम
				820	निजी	कृषिक	0.090	रामेश्वर दयाल पुत्र अजुद्धी नि. ग्राम
			बिरासनी	79 मि.	निजी	कृषिक	0.575	चकमार्ग
				22	निजी	कृषिक	0.141	सुने पुत्र मनोरे नि. ग्राम
			उरई	39	निजी	कृषिक	0.008	लक्ष्मी नारायण पुत्र परशुराम, हरचरन पुत्र कामता प्रसाद, कमलापत पुत्र तुलसी राम नि. ग्राम
			गिरधान	40	निजी	कृषिक	0.108	श्रीमती विद्यादेवी पत्नी रामप्रसाद नि. जवाहर नगर, कोच
				67	निजी	कृषिक	0.414	राम कुमारी पुत्री अंगद सिंह नि. उरई
				69	सरकारी	अकृषिक	0.061	ग्रभूदयाल पुत्र रामसनेही नि. ग्राम
				70	निजी	कृषिक	1.664	राकेश कुमार, उमेश चन्द पुत्रगण रामशरन नि. ग्राम
				71	निजी	कृषिक	0.027	नत्थु, भल्लू पुत्रगण पंचम नि. देवरी, पर, गरीठा, जिला-झाँसी
				72	निजी	कृषिक	0.177	घकरोड
				73	निजी	कृषिक	0.085	घासीराम पुत्र चुखर, कन्हैया लाल, रमेशचन्द पुत्रगण बाबू, गुलावरानी पत्नी बाबू नि. कोटरा
				74	निजी	कृषिक	0.008	रामदास पुत्र भोगी लाल, विमला पत्नी स्व. श्यामाचरण नि. ग्राम
			मिनोरा कालपी	119	निजी	कृषिक	0.429	राजासाम, कढोरे, राकेश पुत्रगण अजुद्धी, नि. कोटरा
				121	निजी	कृषिक	1.545	धूराम, जगदीश पुत्रगण कसिया उर्फ कासी, नि. कोटरा
				125	निजी	कृषिक	0.548	शिवमंगल, राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण घनसोले, सरावनवाली वेवा घनसोले नि. कोटरा
								श्रीमती कपूरी पत्नी फूल सिंह, मालती देवी पत्नी जितेन्द्र सिंह, नि. कुसभिलिया, परगना उरई, चन्द्रभान पुत्र नंदराम, नि. ग्राम
								रामआसरे पुत्र नाथूराम, श्रीमती सावित्री देवी पुत्री रामगोविन्द, दुलीचन्द पुत्र नंदराम, कीरत सिंह पुत्र हरनारायण, नि० ग्राम
								अरविन्द कुमार पुत्र ग्या प्रसाद, नि. ग्राम
								श्रीमती कल्पना गुप्ता पत्नी सुशील कुमार, नि० तुलसीनगर, पर. उरई, पर. उरई
								गोधन पुत्र जगन्नाथ नि. ग्राम

[फा.सं. भाराराप्रा / 11014 / तक. / ईडब्ल्यू-II / एलए / कोटा / 2003]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th May, 2014

S.O.1312(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1338(E), dated the 23rd May, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building Toll Plaza and Way Side Amenities (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 25 (including construction of bypasses) on the stretch of land from km. 173.600 to km. 220.000 (Jhansi-Bhognipur Section) in Konch and Orai Tehsil in District Jalaun, in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Amar Ujala” and “Rashtriya Sahara” both dated the 12th September, 2013, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 173.600 to Km. 220.000 (Jhansi-Orai Section) of National Highway No. 25 in District Jalaun in the State of Uttar Pradesh

Serial Number	Name of the District	Name of the Tehsil (Taluk)	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Person interested
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jalaun	Konch	Bilayan	582 Mi	Private	Agricultural	0.041	Udayveer Singh, Kuldeep Singh S/o Ram Prasad R/o Village
								Bhogi Lal S/o Varelal, Laxmi Narayan S/o Lt. Bal Kishun, R/o Village
								Jogi Lal S/o Varelal, R/o Village
				631	Private	Agricultural	0.218	Smt. Suman W/o Ashok Kumar R/o Village Ait, Pargna Orai
				659	Private	Agricultural	0.038	Ram Sagar S/o Vrindravan, R/o Village
			658	Private	Agricultural	0.112	Rameshwar Dayal S/o Ajuddhi, R/o Village	

			630	Government	Non Agricultural	0.010	Chakmarg
			620	Private	Agricultural	0.090	Sunne S/o Manore, R/o Village
		Wirasni	79 Mi	Private	Agricultural	0.575	Laxmi Nryan S/o Parashuram, Harcharan S/o Kamta Prasad, Kamlapat S/o Tulsiram, R/o Village
							Smt. Vidhya Devi W/o Ramprasad, R/o Jawahar Nagar, Konch
			22	Private	Agricultural	0.141	Ram Kumari D/o Angad Singh, R/o Orai
	Orai	Girthan	39	Private	Agricultural	0.006	Prabhudayal S/o Ramsanehi, R/o Village
			40	Private	Agricultural	0.106	Rakesh Kumar, Umesh Chandra S/o Ramsharan, R/o Village
			67	Private	Agricultural	0.414	Natthu, Bhallu S/o Pancham, R/o Devri, Pargna Garoutha, District- Jhansi
			69	Government	Non Agricultural	0.061	Chakroard
			70	Private	Agricultural	1.664	Ghasiram S/o Chukhar, Kanhaiya Lal, Ramesh Chandra S/o Babu, Smt. Gulabrani W/o Babu, R/o Kotra
			71	Private	Agricultural	0.027	Ramdas S/o Bhogi Lal, Vimla W/o Lt. Shyamacharan, R/o Village
			72	Private	Agricultural	0.177	Rajaram, Karore, Rakesh S/o Ajuddhi, R/o Kotra
			73	Private	Agricultural	0.085	Dhooram, Jagdish S/o Kasiya alias Kasi, R/o Kotra
			74	Private	Agricultural	0.006	Shivmangal, Rajendra Prasad S/o Ghansole, Sravanvali W/o Ghansole, R/o Kotra
		Minora Kalpi	119	Private	Agricultural	0.429	Kapoori W/o Phool Singh, Malti Devi W/o Jitendra Singh, R/o Kusmiliya, Chandrabhan S/o Nandram, R/o Village
							Ram Aasre S/o Nathuram, Smt. Savitri Devi D/o Ramgovind, Dulichand S/o Nandram, Kirat Singh S/o Harnrayan, R/o Village
			121	Private	Agricultural	1.545	Arvind Kumar S/o Gya Prasad, R/o Village
							Kalpna Gupta W/o Sushil Kumar, R/o Tulsinagar, Orai
			125	Private	Agricultural	0.548	Godhan S/o Jagannath, R/o Village

[F. No. NHAI/11014/Tech./EW-II/LA/Kota/2003]

MAYA PRAKASH, Director